

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 21 /2022 दिनांक : 17.02.2022

श्रीमती पल्लवी शर्मा (RJ0585), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सवाई माधोपुर को दिनांक 02.03.2022 से 08.03.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.03.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सवाई माधोपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
16-02-2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/83/2008/ 1156

दिनांक : 17.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 357 दिनांक 01.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती पल्लवी शर्मा (RJ0585), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सवाई माधोपुर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सवाई माधोपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर।

17.2.2022
सहायक रजिस्ट्रार